

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी

(लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:- अटल सेवा केन्द्र, नाकोडा )


प्रकरण सं.:- 128/2018

दिनांक:- 19/06/2018

क्रमांक:- लो.अदा./2018/ 1725

आदेश


वादी के वाद पत्र एवं पटवारी धनवा व भू.अ.नि. सिणधरी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशांसा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अनुसरण में ग्राम धनवा तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत् 2072-2075 में खाता संख्या 247 के राजस्व रिकॉर्ड(जमाबन्दी) में अंकित प्रविष्टि ओमसिंह पुत्र लाखसिंह के स्थान पर ओमप्रकाश पुत्र लाखसिंह दर्ज किये जाने के आदेश पारित किया जाता है। शेष बटूस्तर रहेंगा।

  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर, सिणधरी  
दिनांक:- 19/06/2018

क्रमांक:- लो.अदा./2018/ 1726-28

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री ओमप्रकाश पुत्र लाखसिंह निवासी धनवा तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर, सिणधरी